प्रेस नोट

दिनांक 06.08.2022

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

"नशा मुक्त अमेठी अभियान" के अन्तर्गत थाना पीपरपुर पुलिस व एसओजी/सर्विलांस अमेठी द्वारा 02 अवैध तमंचा 04 जिंदा कारतूस व 20 किलोग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग रुपए 08 लाख) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **"नशा मुक्त अमेठी अभियान**" के तहत दिनांक 06.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर धीरेन्द्र कुमार यादव मय हमराह व प्रभारी एसओजी जनपद अमेठी निरीक्षक धीरेन्द्र वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1.नवीन सिंह पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी सिपाह महेरी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2.अखिलेश यादव पुत्र मुन्नू सिंह यादव मूल निवासी लक्ष्मणपुर थाना गुरूसहायगंज जनपद कन्नौज हाल पता ग्राम प्रतापपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज को रेलवे स्टेशन पीपरपुर जाने वाले तिराहे से जो सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ मार्ग से जुड़ता है, से समय करीब 02:00 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नवीन सिंह के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस व 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ तथा अभियुक्त अखिलेश यादव के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 03 जिंदा कारतूस 38 बोर व 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। थाना पीपरपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग संयुक्त रूप से गांजे का आयात निर्यात करते हैं। ले जाने की सुविधा के कारण अलग-अलग बण्डल में प्रतापगढ़ से कन्नौज ले जा रहे थे। हम लोग उड़ीसा से जयपुर के लिए भी गांजा ले जाया करते हैं। बस स्टॉप व बड़े रेलवे स्टेशन पर चेकिंग होती है इस लिये छोटे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. नवीन सिंह उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी सिपाह महेरी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. अखिलेश यादव उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र मुन्नू सिंह यादव मूल निवासी लक्ष्मणपुर थाना गुरूसहायगंज जनपद कन्नौज हाल पता ग्राम प्रतापपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज।

बरामदगी- (02 अदद तमंचा, 04 जिंदा कारतूस व **20 किग्रा0 अवैध गांजा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग रुपए 08 लाख**)

अभियुक्त नवीन सिंह के कब्जे से-

- 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस व 10 किलोग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्त अखिलेश यादव के कब्जे से-

- 01 अदद अवैध तमंचा 03 जिंदा कारतूस 38 बोर व 10 किलोग्राम अवैध गांजा।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 116/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
- मु0अ0सं0 117/22 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
- मु0अ0सं0 118/22 धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

नवीन सिंह-

1. मु0अ0सं0 916/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी झांसी।

अखिलेश यादव-

1. मु0अ0सं0 08/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी आमला भोपाल मध्य प्रदेश।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना पीपरपुर-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर धीरेन्द्र कुमार यादव जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 प्रेमचन्द्र गौतम
3. हे0का0 नीरज यादव
4. का0 प्रदीप कुमार
5. का0 कौसिक राजपूत
6. का0 राज कुमार सिंहानिया

एसओजी/सर्विलांस अमेठी-

1. निरीक्षक धीरेन्द्र वर्मा प्रभारी एसओजी
2. उ0नि0 विवेक सिंह प्रभारी सर्विलांस
3. का0 अमित मिश्रा
4. का0 नरेन्द्र मिश्रा
5. का0 अंकित मिश्रा